कार्यलय जिला स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, गिरिडीह
—: DSR तैयार करने हेतु निविदा आमंत्रण :—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार, गिरिडीह के कार्य क्षेत्र गिरिडीह जिलान्तर्गत पाये जानेवाले लघु खनिजों (बालू छोडकर) के संदर्भ में District Survey Report (DSR) तैयार करने हेतु सक्षम संस्थान/एजेंसी जो निम्नांकित प्रकार के कार्य का अनुभव रखते हो, वे दिनांक 28.7.2018 के 4:00 बजे अपराह्न तक सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार, गिरिडीह —सह— अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में दर दर्शाते हुए सभी कागजातों के साथ मुहर बंद लिफाफे में आवेदन जमा कर सकते है। ऐसे प्राप्त सभी निविदा दिनांक 30.7.2018 को अपराह्न 3:00 बजे DEIAA गिरिडीह के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है।

कार्य का विवरण :

1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 141(अ), दिनांक 15.01.2016 के निर्देश एवं प्रचालित मापदण्डों के अनुसार जिला अन्तर्गत उपलब्ध खनन क्षेत्र, खनन कार्य हेतु उपयुक्त क्षेत्र एवं खनन निषिद्ध क्षेत्र का Geo- reference Block तैयार करना, खनन हेतु वर्णित क्षेत्र का विवरण देते हुए प्रत्येक लघु खनिज (बालू छोडकर)के लिए क्षेत्रीय आकलन कर DSR तैयार कर, DEIAA गिरिडीह को प्रस्तुत करना।
2. Draft DSR में कोई सुझाव आने पर उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर Final DSR तैयार कर प्रस्तुत करना।

तकनीकी अर्हताऐं :

(क) निविदा में भाग लेनेवाले संस्थन/एजेसी को Mineral, Geology एवं Surveying के क्षेत्र में 05 (पाँच) वर्षों के अनुभव होना चाहिए।

(ख) व्यक्तिगत Consultant जिन्हें 05 (पाँच) वर्षों का उपरोक्त अनुभव हो वे भी आवेदन कर सकते है।

निविदा की शर्ते :

(1) निविदा दो भागों में यथा—तकनिकी एवं वित्तीय भाग में अलग—अलग लिफाफे में होना चाहिए।

(2) तकनिकी निविदा के साथ आयकर/सेवाकर/ GST में निबंधित होने का प्रमाण पत्र के साथ—साथ अनुभव प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना होगा।

(3) निविदा के वित्तीय भाग के साथ 5000/— (पाँच हजार) का बैंक ड्रफ्ट Member Secretory, DEIAA Giridih के नाम भुगतेय जमा करना अनिवार्य होगा।

(4) निविदा दाता को संबंधित कार्य में आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के आँकडे संबंधी विभागों से स्वंय प्राप्त करना होगा।

(5) DSR आवंटन की तिथि से 02 (दो) माह के अन्दर DEIAA गिरिडीह को DSR तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

(6) बिना कोई कारण बताये निविदा को संशोधित/स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त–सह– अध्यक्ष DEIAA गिरिडीह को सुरक्षित होगा।

(7) इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के वैधानिक मामले की सुनवाई गिरिडीह स्थित व्यवहार न्यायालय में ही मान्य होगा।

(8) इस निविदा को NIC गिरिडीह के वेवसाइट WWW.Giridih.nic.in एवं खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के वेवसाइट WWW jharkhandminerals. gov.in , उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह एवं जिला खनन कार्यालय गिरिडीह के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

सदस्य सचिव DEIAA
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकरी गिरिडीह।

अध्यक्ष DEIAA
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।